

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/TRANS./17557/2016

7-	परियोजना/स्कीम का स्थान	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (संधारण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर - बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के दोनों किनारों से प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में दंतेवाड़ा वनमंडल में 71.705 हेक्टेयर एवं बीजापुर वनमंडल में 27.714 हेक्टेयर कुल 99.419 हेक्टेयर वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	दन्तेवाड़ा
iii.	वन प्रभाग	दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा, परिक्षेत्र गीदम एवं नेलसनार
iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	71.705 हेक्टेयर
v.	वन की कानूनी स्थिति	
	(क) सीमांकित संरक्षित वन (PF-1241,1320,1972,1973,1977,,1978,1990)	24.141 हेक्टेयर
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन (RF-1252,1254,1261,1262,1965,1966)	24.601 हेक्टेयर
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	0.000 हेक्टेयर
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	22.963 हेक्टेयर
	योग :-	71.705 हेक्टेयर
vi.	हरियाली का घनत्व	0.4 से .0.5
vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित वनभूमि वन भूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है. जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु दिया जा सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र दंतेवाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन सीमा से लगा हुआ। (मानचित्र संलग्न)
x.	क्यो फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है

	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नही																												
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर – बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दंतेवाड़ा वनमण्डल के आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। बारसूर में प्रस्तावित लाईन से 1 से 8 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक महत्व के चिन्ह बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, मामा-भांचा मंदिर एवं चन्द्रादित्य मंदिर स्थित है। प्रस्तावित लाईन के निर्माण से इन ऐतिहासिक स्थलों में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।																												
8	.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है																												
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नही																												
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा																													
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये व्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित 99.419 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अवक्रमित वनक्षेत्र अर्थात् $99.419 \times 2 = 198.838$ (199 हेक्टेयर) का विवरण <table><tr><th>भूखण्ड</th><th>कक्षा क्रमांक</th><th>क्षेत्रफल हेक्टे.</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये योग भूखण्ड का आकार</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>1</td><td>PF-1241</td><td>279.23</td><td>127.1</td><td>119</td><td rowspan="3">प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से लगा है।</td></tr><tr><td>2</td><td>RF-1273</td><td>278.58</td><td>21.4</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>RF-1273</td><td>278.58</td><td>62.8</td><td>60</td></tr><tr><td colspan="4">प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल भूखण्ड</td><td>199</td><td>हेक्टर</td></tr></table>	भूखण्ड	कक्षा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टे.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी	1	PF-1241	279.23	127.1	119	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से लगा है।	2	RF-1273	278.58	21.4	20	3	RF-1273	278.58	62.8	60	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल भूखण्ड				199	हेक्टर
भूखण्ड	कक्षा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टे.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी																										
1	PF-1241	279.23	127.1	119	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से लगा है।																										
2	RF-1273	278.58	21.4	20																											
3	RF-1273	278.58	62.8	60																											
प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल भूखण्ड				199	हेक्टर																										
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न हैं																												
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न हैं																												
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रुपये 10,85,85,544.00																												
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः उपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न																												

		(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3583.01 वर्ग कि.मी.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
		आरक्षित वन	737.726 वर्ग कि.मी.
		संरक्षित वन	551.152 वर्ग कि.मी.
		असीमांकित वन	421.807 वर्ग कि.मी.
		योग :-	1710.685 वर्ग कि.मी.
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	19 मामलो में 3217.624 हेक्टर
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	7361.73
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर ।	
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
		क. वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर	
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित 132 के.व्ही. . बारसूर - बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से बस्तर संभाग के बीजापुर,दन्तेवाड़ा जिले में बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पुरी संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 71.705 हे० वन भूमि व्यापवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक : 09-08-2016

स्थान : दन्तेवाड़ा


 वनमण्डलाधिकारी,
 दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा